बिहार सरकार

लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-ल0ज0सं0/नि0प्र0/नि0जांच-10/2026 311 /पटना, दिनांकः-14/10/26

संकल्प

विशेष निगरानी इकाई, पटना के पत्रांक-1981/अनु0/25/2026/SVU/Pat. दिनांक-11.09.2026 द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, छपरा अतिरिक्त प्रभार अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के विरूद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में विशेष निगरानी इकाई थाना प्राथमिकी सं0-25/2026 दिनांक-10.09.2026, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988(यथा संशोधित 2018) की धारा-13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(b), 12 एवं भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-61(2)(a) दर्ज किये जाने की सूचना विभाग को दी गयी है।

2. विशेष निगरानी इकाई, पटना के उक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि श्री राजेन्द्र कुमार, अधीक्षण अभियंता के विरूद्ध उनके वैध आय से लगभग रू0-3,01,87,108(तीन करोड़ एक लाख सतासी हजार एक सौ आठ रूपये) मात्र अधिक की परिसंपत्ति अर्जन का प्रथम द्रष्टया साक्ष्य पाया गया है, जो कि श्री कुमार के वैध आय से लगभग 102.03 प्रतिशत अधिक है।

3. उपर्युक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है-

(i) श्री राजेन्द्र कुमार(आई0डी0-5100), अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, छपरा अतिरिक्त प्रभार अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(ग) के तहत निलंबित किया जाता है।

(ii) निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय-मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में निर्धारित किया जाता है।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत निलंबन अवधि में श्री कुमार को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा ।

5. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा ।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र में प्रकाशित की जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(संगीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः- /पटना, दिनांकः-

स्पीड पोस्ट/ई-मेल प्रतिलिपिः- श्री पंकज कुमार, पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, पटना को उनके पत्रांक-1981/अनु0/25/2026/SVU/Pat. दिनांक-11.09.2026 के आलोक में/श्री राजेन्द्र कुमार, अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल, छपरा अतिरिक्त प्रभार अधीक्षण अभियंता(मु0), अनुश्रवण, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/

सरकार के अपर सचिव

कृ0पृ0उ0

D:\Amit Drive E\new folder\sankalp.docx

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांकः- /पटना, दिनांकः-

स्पीड पोस्ट/ई-मेल प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, छपरा/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः- /पटना, दिनांक-

प्रतिलिपिः- वित्त विभाग(ई-गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में (सी0डी0 के साथ) प्रकाशनार्थ प्रेषित।
अनु0-यथोक्त ।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः- /पटना, दिनांकः-

स्पीड पोस्ट/ई-मेल प्रतिलिपिः- अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः- /पटना, दिनांकः-

परिचारी बही प्रतिलिपिः- माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी, निगरानी स्वच्छता पटल, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः-6594 /पटना, दिनांकः-14/10/26

प्रतिलिपिः- आई0टी0 कोषांग, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त संकल्प को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने के साथ ही संकल्प का सी0डी0 तैयार कर निर्गत शाखा/प्रेषण शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

13/10/26

सरकार के अपर सचिव

D:\Amit Drive E\new folder\sankalp.docx

Scanned with OKEN Scanner